58 III/निग०/रीवा/भू-रा०/2017/3768

<u>न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट</u>

<u>रीवा, जिला–रीवा (म0प्र0)</u>

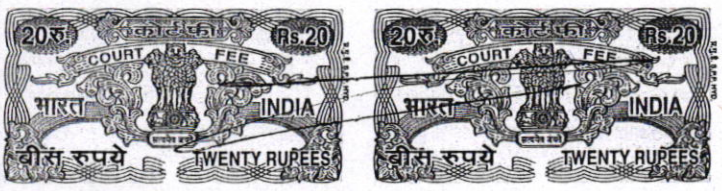

Rs 40/-

भास्कर प्रसाद पिता श्री ठाकुर प्रसाद पाण्डेय उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम–छिवला, तहसील–मनगवां, जिला–रीवा (म0प्र0)

.........आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

1. महेन्द्र प्रसाद पाण्डेय पिता श्री लखन प्रसाद पाण्डेय निवासी ग्राम–छिवला, तहसील–मनगवां, जिला–रीवा (म0प्र0)

2. श्रीमती शिवकली देवी पत्नी इन्द्रमणि प्रसाद पाण्डेय निवासी ग्राम–छिवला, तहसील–मनगवां, जिला–रीवा (म0प्र0)

.... अनावेदकगण/गैरनिगरानीकर्तागण

<u>निगरानी विरुद्ध न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील–मनगवां, जिला–रीवा (म0प्र0) द्वारा प्रकरण क्रमांक–64ए70/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 29–08–2017 के विरुद्ध</u>

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा–50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई0</u>

महोदय,

<u>निगरानी के आधार निम्नलिखित हैः–</u>

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 29–08–2017 में पारित आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध आदेश पारित किया है जो कि निरस्त योग्य है।

भास्कर पाण्डेय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन–निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/3768

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5/4/18	यह निगरानी तहसीलदार मनगवॉ जिला रीवा के प्रकरण कमांक 64 अ 70/2016–17 में पारित आदेश दिनॉक 29–8–2017 के विरूद्व म.प्र. भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के कम में निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार ने म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के अंतर्गत आवेदक व्दारा प्रस्तुत दावा निरस्त किया है, जिसकी प्रथम अपील उपखंड अधिकारी को होगी। **म.प्र.राज्य बनाम जयरामपुर को–आपरेटिव्ह सोसायटी 1979 रा.नि. 465 तथा केशरवाई विरूद्व बल्दुआ 1993 रा.नि. 222 में बताया गया है कि मामला प्रथमतः उच्चतर प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत न करते हुये सवसे निचले न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिये।** आवेदकगण के अभिभाषक ऐसा कोई सकारात्मक ठोस आधार भी नहीं बता सके हैं कि जिस आदेश की अपील अनुविभागीय अधिकारी को होगी, उस आदेश के विरूद्व सीधे निगरानी राजस्व मण्डल में किन ठोस आधारों के आधार पर सुनी जावे। फलस्वरूप तहसीलदार व्दारा पारित आदेश के विरूद्व सीधे राजस्व मंडल में निगरानी सुनना उचित नहीं है। आवेदक इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त कारणों से निगरानी सुनवाई–योग्य न होने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है। सदस्य	